

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

1335 (S)
21-2-13

संकल्प


विषय:- बिहार पथ आस्तिर्थाँ अनुरक्षण नीति, 2013 ।

राज्य सरकार का आशय है कि सड़क संरचनाओं का एक ऐसा सुगम जाल विद्यमान हो कि राज्य की किसी भी कोने से पटना की यात्रा 6 घंटे के भीतर सम्भव की जा सके तथा वर्ष 2015 तक यह देश का सर्वोत्तम सड़क नेटवर्क के अनुरूप हो सके। इस प्रयोजनार्थ राज्य सरकार द्वारा विगत 30 वर्षों में सड़क निर्माण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं जिसके अन्तर्गत बड़े पैमाने पर सड़कों एवं पुलों का निर्माण एवं तन्वयन हुआ है। राज्य में एक लाख किलोमीटर से ज्यादा लम्बी सड़कों का जाल विद्यमान होने के चलते शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्वास्थ्य इत्यादि के क्षेत्र में भी पर्याप्त सकारात्मक बदलाव आये हैं। सरकार का आशय नवविगत 30 वर्षों के बड़े पैमाने पर सड़कों तथा पुलों का निर्माण एवं तन्वयन के साथ गति बनाये रखना है।

ऐसी विशाल पथ अवसंरचना का समयोजित एवं कारगर संचालन का काफी महत्व है। जहाँ जहाँ सड़कें हैं वहाँ वहाँ अनुरक्षण के फलस्वरूप आवागमन बाधित होता है, अधिक तनाव एवं प्रदूषण, परिवहन व्यय बढ़ता है तथा वाहनों के संचालन के व्यय में भी अनावश्यक वृद्धि होती है। निर्मित एवं निर्माणाधीन पथ संरचनाओं के समुचित संचालन हेतु इनका सही एवं ससमय रख रखाव आवश्यक है। इस प्रयोजनार्थ पथ संरचनाओं के अनुरक्षण के मरम्मत के लिए एक कारगर अनुरक्षण नीति आवश्यक है। तदनुसार राज्य सरकार बिहार पथ आस्तिर्थाँ अनुरक्षण नीति के रूप में निम्नलिखित नीति अंगीकार करती है-

राज्य सरकार के संविधान के अनुच्छेद-39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित नीति अधिसूचित करती है:-

1. **सक्षिप्त नाम, विस्तार और आरंभ**-(1) यह नीति "बिहार पथ आस्तिर्थाँ अनुरक्षण नीति, 2013" कही जा सकेगी। (2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह सन् 2013 में लागू होगी।
2. **अनुरक्षण कार्य के प्रकार**-पथ संरचना के संपूर्ण निरन्तर जीवन काल के दौरान निम्नलिखित प्रकार के मरम्मत/संभारण कार्य कराये जायेंगे:-
 - (i) नियमित/साधारण संभारण (मोनिसूनु पूर्व एवं मॉनिसूनु बाद के कालों की पर्याप्त विधिनिष्ठता के अधीन की जाएगी),
 - (ii) सामयिक अनुरक्षण,
 - (iii) विशेष मरम्मत एवं
 - (iv) आपातकालीन मरम्मत।
3. **वर्तमान व्यवस्था**-पथ संरचनाओं के अनुरक्षण कार्यों के लिए सामान्यतः input based सिस्टम अपनायी जाती है। इस प्रणाली में तकनीकी विभागों द्वारा नियत विस्तारों पर पथ संरचना के अनुरक्षण एवं मरम्मत द्वारा कार्य सम्पादित किया जाता है एवं ऐसे कार्यों का संचालन पूर्व निर्धारित बजट के अन्तर्गत कर किया जाता है।


/

4. नई व्यवस्था-वर्तमान व्यवस्था के अन्तर्गत मौजूदा पथ आरितियों के अनुसंधान एवं रखरखाव के निष्पादन और उपलब्धि आधारित पथ आरितियों अनुसंधान संचालन प्रणाली (Long term output and performance based road asset maintenance contract) अंगीकार की जाएगी जिससे जहाँ जहाँ तक पथ आरितियों का संरक्षण हो सकेगा। दीर्घकालीन संरक्षण के सविदा समारोहों की शर्तों में निम्नलिखित अवधि के लिए होगी। आवश्यकतानुसार सविदा की अवधि विभिन्न स्तरों पर अनुसंधान एवं रखरखाव के निष्पादन सतृषजनक होने की स्थिति में, सविदा विखंडित की जा सकती है। यदि सतृषजनक नहीं होने के स्थिति में सविदा विखंडित की जा सकेगी।

5. कार्यान्वयन के ढंग-

5.1 जहाँ संभव हो, सम्भाव्य पथ संरचनाओं के विकास, निर्माण, एवं अनुसंधान एवं रखरखाव के लिए निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) ढंग अपनायी जाएगी। Concessionaire के रूप में निम्नलिखित जन-निजी भागीदारी के ढंगों में कोई अंगीकार किया जा सकेगा-

- (i) Design built finance operate & transfer (DBFOT) अथवा
- (ii) BOT Toll अथवा
- (iii) BOT Toll+Annuity अथवा
- (iv) BOT Annuity एवं तदनुसार कार्य सम्पादित किया जाएगा।


5.2 प्रारम्भिक आकलन के आधार पर, जन-निजी भागीदारी प्रणाली में संचाल्य पथ संरचनाओं के अनुसंधान एवं Operate Maintain and Transfer (OMT) पद्धति लागू की जा सकेगी। संचाल्य पथ संरचनाओं के अनुसंधान एवं Corridor Improvement आदि के लिए OMT के अधीन एक निश्चित समय पर निर्धारित Toll rate पर Concessionaire का बयन किया जा सकेगा।

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा जन-निजी भागीदारी पद्धतियों के संघीयकरण के अनुसंधान एवं अनुसंधान के लिए Operate, Maintain and Transfer (OMT) के आधार पर Concessionaire को नियुक्ति हेतु, तैयार Model Document अंगीकार की जाएगी। Concessionaire को संरक्षित एवं अधिसूचित Toll Rate के आधार पर Toll वसूलने, पथों का अनुसंधान एवं इस संरक्षण करने के लिए आय में से एक निर्धारित राशि राज्य सरकार को देने का प्रावधान भी इसी मानक document के आधार पर किया जाएगा। इस Model Document को आवश्यकतानुसार संशोधनों के साथ लागू किया जाएगा।

5.3 प्रारम्भिक आकलन के आधार पर, संचाल्य पथ आरितियों का जन-निजी भागीदारी प्रणाली में अनुसंधान कार्य के लिए बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड एवं बिहार राज्य मूल निर्माण निगम लिमिटेड को क्रियान्वयन एजेन्सी होगी। Project Development Consultant (PDC) को प्रस्तावित पथों के निर्माण निगम को देय एजेन्सी चार्ज की राशि से किया जायेगा।

6. उपरोक्त मॉडल के अधीन अनाकषादित पथ संरचनाओं के अनुसंधान कार्यों का निष्पादन विमान-युक्त कार्य प्रमडलो के माध्यम से, उपबंधित वजतीय राशि से, विगत जायेगा।

7. अनुसंधान नीति के कार्यान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देशों का गठन इस नीति के अन्तर्गत अनुसंधान के कार्यान्वयन के लिए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांत पथ निर्माण विभाग द्वारा तैयार किए गए विस्तृत मार्गदर्शक सिद्धांतों में वार्षिक अनुसंधान कार्यक्रम के निष्पादन में सहायता के तलेपु आवश्यक व-वर्षीय प्रक्रियाओं तथा विभिन्न प्रकार की अनुसंधान गतिविधियों के प्रबंधन का विस्तृत द्वारा उ-विषय है।



मार्गदर्शक सिद्धांतों में किये जाने वाले अनुरोध करारों के अन्तर्गत प्रत्येक कार्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में संसाधनों के प्रभावकारी एवं मूल्यवत् उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए रीति भी अन्तर्विष्ट होगी ताकि अंतर्गत प्रत्येक कार्य के अन्तर्गत प्रत्येक सिद्धांतों में विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रदर्शन-प्रतिफल एवं कार्य-सिद्धि के लिए सविदा प्रबंधन की विभिन्न रीतियाँ, सड़क सुरक्षा, गुणवत्ता नियंत्रण, कार्य-सिद्धि, सुरक्षा, सड़क-मानदण्ड, अनुरक्षण गतिविधियों का अंतराल, अनुरक्षण के प्रयोग, गतिविधियों के लिए Service level permissible tolerance, maximum response time, या reduction in payable amount for non compliance का विस्तृत विवरण और अनुरक्षण-कार्य-सिद्धि के संबंध में विस्तृत सिद्धांतों में अन्तर्विष्ट होंगे। मार्गदर्शक सिद्धांतों में आगे-आगे के अनुरक्षण के लिए अनुरक्षण-कार्य-सिद्धि का प्रावधान किया जा सकेगा।

8. विवादों का निपटारा—सविदा के अधीन उत्पन्न विवादों का निपटारा Bihar Public Works Contracts Disputes Arbitration Tribunal Act, 2008 के अधीन किया जाएगा।

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इसे बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशित किया जाएगा और सरकार के सभी विभागाध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त, सभी जिलों, पटना, पटना एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाये।

बिहार राज्यालय के आदेश से

(Signature)
सरकार के सचिव,
मध्य निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक:- प्र08/बैठक-02-35/2010- 1335 (S) पटना, दिनांक 21/02/20

प्रतिलिपि—महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(Signature)
सरकार के सचिव,
मध्य निर्माण विभाग, बिहार, पटना

ज्ञापक:- प्र08/बैठक-02-35/2010- 1335 (S) पटना, दिनांक 21/02/20

प्रतिलिपि—अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के विशेष अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित गजट की 1000 प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करवाई जायें।


(Signature)
सरकार के सचिव,
मध्य निर्माण विभाग, बिहार, पटना

-4-

ज्ञापांक-प्र08/बैठक-02-35/2010-1335(S)

पटना दिनांक 21.2.13


प्रतिलिपि-सभी प्रधान सचिव/सभी सचिव/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी जिला प्रमुख/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव

ज्ञापांक-प्र08/बैठक-02-35/2010-1335(S)

पटना दिनांक 21.2.13


प्रतिलिपि-अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-निरीक्षण, सड़क, पथ निर्माण विभाग, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट डेवलपमेंट कॉ0 लि0, पटना/ सभी मुख्य अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, पथ निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग/ मुख्यालय स्थित सभी राजपुत्र पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार

ज्ञापांक-प्र08/बैठक-02-35/2010-1335(S)

पटना दिनांक 21.2.13

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


सरकार के सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार